न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 63ए/2011

अपीलांट

धनाराम पुत्र कसारामजी जाति चौधरी सेपटा निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. पौनीदेवी पुत्री कसारामजी जाति चौधरी सेपटा निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली।
2. मांगीलाल पुत्र कसारामजी जाति चौधरी सेपटा निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली।
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 73/2011 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी कस्बा बाली के खसरा नंबर 264, 265, 266 266/3535, 274 कुल रकबा 4.80 हैक्टेयरके संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी कसारामजी की खातेदारी की थी। कसारामजी ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी के संबध में फैमिली सेटलमेंट के रूप

दस्तावेज लिखा गया था, जिसमे वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम रखी गई थी। जिसके अनुरूप अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। कसारामजी के मृत्यु उपरान्त उक्त विधिक दस्तावेज फैमिली सेटलमेंट (बंटवाडा विलेख) को नजरअंदाज करते हुए फौतेदगी म्यूटेशन से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम भी दर्ज कर दिया। म्यूटेशन एण्ट्री फिस्कल एण्ट्री है, और उससे कोई राईट स्वत्व, हक–हकूक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में फौतेदगी म्यूटेशन स्वत ही नल एंड वॉईड है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्वयं ने फाईन्डिग दी है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कब्जे के संबध में कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है, तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 किसी प्रकार से अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं होती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज अनुरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला साबित था, न ही सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु साबित था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनो बिन्दुओ पर बिना फाईन्डिग दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी कस्बा बाली के खसरा नंबर 264, 265, 266 266/3535, 274 कुल रकबा 4.80 हैक्टेयरके संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी कसारामजी की खातेदारी की थी। एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कसारामजी की जाईन्दा पुत्री होने से वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित हो जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादग्रस्त आराजी की रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। केवल अच्छी बारिश होने से और कुंए में पानी का जल स्तर बढने से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की नियत में फर्क आने से संयुक्त काश्त नहीं करने देने पर आमादा थे, एवं न ही अलग–अलग आपस में बांटकर काश्त हेतु राजी थे। जिससे वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। साथ ही अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं हस्तानांतरण से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट

संख्या 01 वादग्रस्त आराजी की रेकर्डेड खातेदार है। एवं अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद विचाराधीन रहते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है अथवा उक्त आराजी को किसी अन्य को बेचान करते है, तो इससे वाद बाहुल्यता बढेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी कस्बा बाली के खसरा नंबर 264, 265, 266 266/3535, 274 कुल रकबा 4.80 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजीयात के संबध में वादग्रस्त आराजी के खातेदार कसमाराम जी ने एक लिखित बंटवाडा दिनांक 10.07.1998 को लिखा गया, जिसमे कसमाराजी ने अपनी संपूर्ण वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के मध्य बंटवाडा कर मौके पर कब्जा कराने का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश में यह स्पष्ट अंकन किया है कि मौके पर कब्जे के संबध में कोई साक्ष्य किसी पक्ष द्वारा नहीं जुटाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रस्तुत किया, जिससे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का साबित करना था। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे कब्जे के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को ध्यान में रखने बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 73/2011 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2011 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली